'मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में दिव्यांगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई तो भवन संपूर्णता प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा'

राशन की सुविधा घर पर मुहैया कराने के साथ ही उनके लिए विशेष पंक्ति की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश

कोटा, (निसं)। राज्य आयुक्त, विशेष योग्यजन उमा शंकर शर्मा ने कहा कि दिव्यांगजनों के अधिकारों को संरक्षित करते हुए उन्हें भी सभी क्षेत्रों में सुगम्यतापूर्वक सुविधाओं की पहुंच उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्हें भी सभी की तरह अवरोध मुक्त वातावरण उपलब्ध कराते हुए उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित करें जिससे वे समाज की मुख्य धारा में अपना योगदान दें सकें। विशेष योग्यजन आयुक्त गुरूवार को सर्किट हाऊस कोटा में जनसुनवाई से पहले जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

शर्मा ने राशन की दुकानों पर विशेष योग्यजनों को प्राथमिकता से राशन देने और उन्हें राशन की सुविधा घर पर मुहैया कराने के साथ ही उनके लिए विशेष पंक्ति की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश जिला रसद अधिकारी को दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन सिनेमा हॉल, मॉल, स्कूल बिल्डिंग, अस्पतालों एवं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में दिव्यांगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं और जो राजस्थान मॉडल भवन विनियम के तहत दिव्यांगजन के लिए किए गए प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं उन्हें भवन संपूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाए। साथ ही, उन्होंने निजी स्कूल भवनों का सर्वे कर यह सुनिश्चित करने को कहा कि वहां दिव्यांग बच्चों के लिए समस्त सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पिछले दस वर्ष में प्राईवेट स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को दिए गऐं एडमिशन एवं स्कूल भवन में रैम्प सहित दिव्यांगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में सर्वे कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए।

कोटा में विशेष योग्यजन आयुक्त उमा शंकर शर्मा ने दिव्यांगजनों की जनसुनवाई की।

उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान प्राइवेट स्कूल बिल्डिंग दिव्यांगों के लिए अनुकूल नहीं पाए जाने एवं नियमों की पालना नहीं करने पर उन पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाऐं। साथ ही, उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि राजकीय एवं निजी विद्यालयों में दिव्यांगजनों की शैक्षणिक गतिविधियों के संदर्भ में जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

आरएसआरटीसी को रोडवेज बस स्टेंड पर दिव्यांगों के लिए रैम्प, व्हीलचेयर सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि रोडवेज बसों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित सीट पर कोई अन्य यात्री बैठा हो और दिव्यांगजन को खड़े रहकर यात्रा करनी पड़े ऐसा नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई दिव्यांग यात्री सड़क पर खड़ा हो तो वहां स्टोपेज नहीं होने पर भी बस रोककर उसे बिठाया जाए। उन्होंने स्वरोजगार योजना के तहत दिव्यांगजनों के ऋण स्वीकृत करने में अनावश्यक देरी करने वाले बैंकों से सम्पर्क कर ऋण स्वीकृति में तेजी लाने एवं बैंकों को दिव्यांगजनों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। विशेष योग्यजन आयुक्त ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यांग बच्चों के चिन्हीकरण के लिए अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों का डेटा उपलब्ध होगा तो उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों को 10 लाख रूपये तक के व्हीकल पर दिव्यांगों को मिलने वाली छूट के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं दिव्यांगजन को लाइसेंस जारी करने से पहले होने वाले ट्रायल के लिए दिव्यांगजन अनुकूल स्कूटी की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

- सिनेमा हॉल, मॉल, स्कूल बिल्डिंग, अस्पतालों को भी पालना करनी होगी
- बैंकों को दिव्यांगजनों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश

शर्मा ने कोटा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को पिछले पांच सालों में निजी क्षेत्र में बने भवनों में दिव्यांगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। विशेष योग्यजन आयुक्त ने सर्किट हाऊस में दिव्यांगजनों की जनसुनवाई की और उनकी शिकायतों के संबंध में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। बल्लभबाड़ी कच्ची बस्ती निवासी दिव्यांग बनवारी का आधार कार्ड अपडेट नहीं होने से योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की शिकायत पर उन्होंने जिला रसद अधिकारी (कोटा ग्रामीण) को आधार कार्ड अपडेट करवाने के निर्देश दिए। साथ ही, विभिन्न परिवादियों की कई वर्षों से चली आ रही समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई।

रामपुरा व्यापारी समिति का शपथ ग्रहण एवं दीपावली मिलन समारोह संपन्न

कोटा, (निसं)। रामपुर व्यापारी समिति का शपथ ग्रहण एवं दीपावली स्नेह मिलन समारोह गुमानपुरा स्थित अणुव्रत भवन में संपन्न हुआ। रामपुरा व्यापारी समिति के अध्यक्ष प्रदीप पाटनी सचिव ऋषभ जैन ने बताया कि समारोह की अध्यक्षता कर रहे कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव एवं होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई।

समारोह के मुख्य अतिथि कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा थे अध्यक्षता कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी ने की समारोह के विशिष्ट अतिथि जनरल मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राकेश कुमार जैन थे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि कोटा महोत्सव का आयोजन इतना सफल रहा कि पूरे देश-प्रदेश में इसकी गुंज हो चुकी है और हम सब ने मिलकर इस आयोजन को जिस तरह से सफल बनाया है सभी को एक मंच पर लाकर खड़ा किया हैं। शर्मा ने कहा कि वर्तमान में आर्थिक चुनौती को देखते हुए हमे कोटा को नई दिशा देने के तहत पर्यटन और औद्योगिक विकास की ओर ध्यान देना होगा उन्होंने होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी द्वारा पिछले 6 माह से हाड़ौती के पर्यटन विकास के लिए जो मिशन छेड़ रखा है उसके लिए उनके कुशल प्रबंधन और कड़ी मेहनत से कोटा महोत्सव जन-जन का महोत्सव के रूप में मनाया गया और यह महोत्सव कोटा व हाड़ौती के पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाने एवं नई ऊंचाई देने की भी शुरुआत है हम सबको इस दिशा में बहुत काम करना है जिसमें सभी का सहयोग आवश्यक है।

सवारी गाड़ियों में 404 यात्री बिना टिकट पकड़े

कोटा, (निसं)। मंडल में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन के निर्देशन में सवारी गाड़ियों में सघन टिकट चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कई दिनों से लोकल सवारी गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। जिसके मद्देनजर मंडल मुख्य टिकट निरीक्षक अजय शर्मा के पर्यवेक्षण में कोटा-नागदा रेल खण्ड पर सवारी गाड़ियों में दिनांक 16 दिसम्बर से 22 दिसम्बर तक (सात दिवसीय) विशेष टिकट चैकिंग अभियान चलाया गया। इस अवधि में गाड़ी संख्या 06616 कोटा-नागदा पैसेंजर, गाड़ी संख्या 06647 चौमहला-कोटा पैसेंजर एवं गाड़ी संख्या 05837 अकलेरा-कोटा पैसेंजर में टिकट चैकिंग अभियान में कुल 404 यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए। जिनसे कुल एक लाख सोलह हजार एक सौ सत्तर रूपए का जुर्माना वसूल किया गया। इस अभियान से रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालें यात्रियों पर शिकंजा कसा हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यह कार्यवाही आगे भी निरन्तर जारी रखने के निर्देश दिए गए।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम संजय कुमार गोतम से बदलकर नया नाम संजय गोतम रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-संजय गोतम पुत्र मोहन लाल गोतम, फ्लेट नम्बर 106, शुभम एनक्लेव, शक्ति नगर दादाबाड़ी, कोटा

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम मोहसिन अली सलीम हुसेन से बदलकर नया नाम सलीम हुसेन रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-सलीम हुसैन पुत्र मोहसिन अली कासिम अली सैफी बोहरा मोहल्ला कुशलगढ़ बांसवाड़ा

मां-बेटी पर जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपी को गिरफ्त में लिया।

कोटा, (निसं)। इटावा पुलिस टीम ने मां और बेटी पर चाकू से हुए प्राणघातक हमले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि फरियादी हेमन्त प्रजापति ने गोविन्द प्रजापत के खिलाफ अपनी मां और बहन पर चाकू से हमला करने का मामला इटावा थाने में दर्ज कराया था। ग्रामीण एसपी ने बताया कि मां और बेटी पर प्राणघातक हमले का मामला सामने आने पर ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकल्याण मीणा एवं पुलिस उपअधीक्षक शिवम जोशी के सुपरविजन में इटावा थानाधिकारी संदीप विश्नोई के नेतृत्व में टीम का गठन किया। टीम ने कार्यवाही करते हुए बारां निवासी गोविन्द प्रजापत (22) को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

यह था मामला:- कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि 24 दिसम्बर को फरियादी इटावा निवासी हेमन्त प्रजापति ने इटावा थाने में रिपोर्ट दी। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि बारां निवासी गोविन्द प्रजापत उसकी छोटी बहिन से रिश्ता बनाने का दबाव बना रहा था। जिस पर मना करने पर गोविन्द घर आया और गाली-गलौच करते हुए उसकी मां और बहिन पर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने फरियादी हेमन्त प्रजापति की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर गोविन्द की तलाश शुरू की और पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी गोविन्द प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया।

25 साल बाद मिलेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज ओ बैच के स्टूडेंट्स

कोटा, (निसं)। इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा वर्तमान में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय संबंद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज के ओ बैच की तीन दिवसीय एलुमिनी मीट 27 से 29 दिसम्बर तक आयोजित होने जा रही है। इस आयोजन को रजत-ओ-संगम नाम दिया गया है। आयोजन से जुड़े विष्णु गोयल एवं राकेश मेवाड़ा ने बताया कि 1995 में इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश और 1999 में पासआउट ओ बैच की ओर से यह एलुमिनी मीट आयोजित होने जा रही है।

यह आयोजन पूर्व में प्रवेश वर्ष के आधार पर वर्ष 2020 में होना था लेकिन कोविड के चलते स्थगित होने के बाद अब पासआउट वर्ष के आधार पर आयोजन किया जा रहा है।

तीन दिवसीय आयोजन में शामिल होने के लिए देशभर से पुराने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इनमें बैंगलुरू, दिल्ली, मुम्बई, पुणे, सहित कई शहरों के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, अमरीका, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड तक से पूर्व विद्यार्थी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। परिवार सहित आ रहे एलुमिनी में से कई दशकों बाद कोटा आएंगे तो कुछ के परिवार पहली बार कोटा आएंगे और यहां शहर के बदले हुए स्वरूप को निहारेंगे। 27 दिसम्बर को सभी विद्यार्थी एकत्रित होकर इंजीनियरिंग कॉलेज के भ्रमण पर जाएंगे।

- अमरीका, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड तक से आ रहे एलुमिनी
- इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा के ओ-बैच की एलुमिनी मीट रजत-ओ-संगम आज से

दोपहर 3:30 से पांच बजे तक वहां शिक्षकों से मिलेंगे और उनका अभिनन्दन करेंगे। इस दौरान पुराने अनुभव साझा किए जाएंगे। इसके बाद शाम 6 से 8.30 बजे तक जम्बूरी सांस्कृतिक संध्या होगी, जिसमें कई प्रस्तुतियां होंगी। 28 दिसम्बर को चम्बल रिवर फ्रंट की विजिट होगी, इसके बाद एलुमिनी के बच्चों की प्रस्तुतियां भी होंगी।

रात को मेनाल रेजीडेंसी होटल में बॉलीवुड नाइट होगी। 29 दिसम्बर को सिटी पार्क का भ्रमण करते हुए एलन के समुन्नत ऑडिटोरियम में विदाई और अनुभव साझा करने के साथ-साथ हमेशा साथ जुड़े रहने के संकल्प के साथ एक-दूसरे को विदा कहेंगे।

गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के टीके लगाए

बून्दी (निसं)। गुरुवार को एनसीएचएन डे पर बाजड़ उप स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण किया गया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के टीके लगवाए गए। एएनएम नफीसा बानो ने बताया कि टीकाकरण के दौरान महिलाओं का वजन, बीपी, शुगर आदि की जांच की गई, साथ ही महिलाओं को पोषण संबंधी जानकारी भी दी। यहां पर आशा सहयोगिनी संतोष, चिंता मेघवाल, संजू मीना, लक्ष्मी सेन, गीता मेहर, सीएचओ रामावतार मीणा मौजूद रहे।

लापता नाबालिग बालिका को बून्दी से दस्तयाब किया

कोटा, (निस)। ऑपरेशन हर्ष अभियान में मानव तस्करी विरोधी यूनिट टीम ने कार्यवाही करते हुए कैथून से 25 दिन से लापता चल रही नाबालिग बालिका को बून्दी जिले के खटकड़ से दस्तयाब किया है।

कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि तीन दिसंबर को नाबालिग बालिका के भाई ने कैथून थाने में रिपोर्ट दी थी। भाई ने कहा कि 1 दिसंबर को पूरा परिवार खाना खाकर सो गया जिसके बाद उनकी छोटी बहिन बिना बताये कही चली गई। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामला सामने आने के बाद कोटा ग्रामीण के महिला अपराध अनुसंधान के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धनफूल मीणा के निर्देशन में पुलिस उपअधीक्षक राजेश ढाका एवं मानव तस्करी विरोध यूनिट के प्रभारी शोकत खान के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कार्य करते हुए 25 दिन से लापता चल रही नाबालिक बालिका को बून्दी के खटकड़ से दस्तयाब करने में सफलता हासिल की।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4554 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 26.12.24

आवास संख्या 2-एम-9 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री रामनिवास गौड़ पुत्र श्री आनंदी लाल को किया गया। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती विमलेश नामा पत्नी श्री राधेश्याम नामा के नाम दिनांक 06.07.2007 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती विमलेश नामा पत्नी श्री राधेश्याम नामा के नाम दिनांक 14.12.2009 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती विमलेश नामा की मृत्यु दिनांक 15.03.2015 को व इनके पति श्री राधेश्याम नामा की मृत्यु दिनांक 24.09.1986 को एवं इनकी पुत्री श्रीमती मीनाक्षी की मृत्यु दिनांक 16.02.2019 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री रोहित नामा पुत्र स्व. श्री राधेश्याम नामा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-एम-9 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा को मृत्यु प्रकरण में नाम हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण के आधार पर श्री रोहित नामा पुत्र स्व. श्री राधेश्याम नामा के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री रोहित नामा पुत्र स्व. श्री राधेश्याम नामा के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री रोहित नामा पुत्र स्व. श्री राधेश्याम नामा के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4528 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 23.12.24

आवास संख्या 4-ए-44 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री रामस्वरुप गौत्तम पुत्र श्री बजरंग लाल गौत्तम को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री रामस्वरुप गौत्तम पुत्र श्री बजरंग लाल गौत्तम द्वारा दिनांक 10.03.1999 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री रामस्वरुप गौत्तम पुत्र श्री बजरंग लाल गौत्तम की मृत्यु दिनांक 08.04.2021 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्रीमती विध्या देवी पत्नी स्व. श्री रामस्वरुप गौत्तम, श्रीमती अंजू गौत्तम पुत्री स्व. श्री रामस्वरुप गौत्तम पत्नी श्री महेन्द्र गौतम, श्रीमती नीता शर्मा पुत्री स्व. श्री रामस्वरुप गौत्तम पत्नी श्री सुधीर शर्मा एवं श्रीमती संगीता गौत्तम पुत्री पत्नी श्री मुकेश द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये रिलीज डीड (त्याग पत्र) आलेखित कर दिनांक 26.06.2023 को श्री अनिल गौत्तम पुत्र स्व. श्री रामस्वरुप गौत्तम के पक्ष में किया गया। श्री अनिल गौत्तम पुत्र स्व. श्री रामस्वरुप गौत्तम द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 4-ए-44 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र रिलीज डीड (त्याग पत्र) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रिलीज डीड (त्याग पत्र) के आधार पर श्री अनिल गौत्तम पुत्र स्व. श्री रामस्वरुप गौत्तम के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री अनिल गौत्तम पुत्र स्व. श्री रामस्वरुप गौत्तम के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री अनिल गौत्तम पुत्र स्व. श्री रामस्वरुप गौत्तम के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

सार-समाचार

केन्द्रीय कारागृह का निरीक्षण किया

कोटा, (निसं)। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की टीम ने गुरूवार को कोटा के केन्द्रीय कारागृह का औचक निरिक्षण किया। शहर पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने बताया कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनिल कुमार सिंघल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलिप सैनी के निर्देशन में टीम का गठन किया गया। शहर पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने बताया कि केन्द्रीय कारागृह में किये गये औचक निरिक्षण के दौरान गठित टीम ने बंदियो के सामानों, बैरिक, डिस्पेसरी, रसोईघर, एवं हार्डकोर वार्ड की सर्किट को मेटल डिटेक्टर और डॉग स्कावड की मदद से गहनता से संयुक्त रूप से तलाशी ली। शहर एसपी ने बताया कि सघन तालाशी के दौरान कारागृह एवं बंदियों के पास से कोई अवैध निषेद्ध सामग्री बरामद नही हुई है। शहर एसपी ने बताया कि केन्द्रीय कारागृह मे औचक निरिक्षण के लिये गठित कई टीम मे शहर पुलिस उपअधीक्षक प्रथम योगेश शर्मा, पुलिस उपअधीक्षक द्वितीय गंगा सहाय, पुलिस उपअधीक्षक तृतीय राजेश कुमार टेलर, पुलिस उपअधीक्षक चतुर्थ मनीष शर्मा एवं पुलिस उप अधीक्षक पंचम लोकेन्द्र पालीवाल सहित शहर के 18 थानों के थानाधिकारी एवं केन्द्रीय कारागृह के पुलिस अधिकारी व काफी संख्या में पुलिस जाप्ता को शामिल किया गया था।

नगर निगम और केडीए ने अतिक्रमण हटाए

कोटा, (निसं)। नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण एवं केडीए ने गुरूवार को संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया और कार्यवाही के दौरान लगभग 15 हजार रूपये की जुर्माने राशि वसूली की गई। नगर निगम कोटा उत्तर के आयुक्त अशोक त्यागी ने बताया कि केडीए के अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक महावीर शर्मा, कोटा उत्तर के पुलिस उप अधिक्षक एवं अतिक्रमण प्रभारी तरूणकांत सौमानी तथा कुन्हाडी थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज की अगुवाई में दोनों निगम व केडीए के अतिक्रमण निरोधक दस्तों द्वारा गुरूवार को सेंटपॉल स्कूल के मेन रोड़, कुन्हाड़ी एवं बालिता रोड़ के क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान अतिक्रमणकर्ताओं के ठेले,बॉडी व टेबल इत्यादि वस्तुओं को अतिक्रमण दस्तों ने संसाधनों के माध्यम से हटाया। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान टीम ने अतिक्रमी व्यापारियों से लगभग 15 हजार रूपये जुर्माना राशि भी वसूल की।

अरविन्द सिसोदिया के प्रन्यासी मनोनयन पर नवयुवक मंडल ने अभिनन्दन किया

कोटा, (निसं)। भीमगंजमंडी स्थित रंगपुर रोड़ गोविन्द भवन परिसर में चोपड़ा फार्म नवयुवक मंडल के द्वारा गुरुवार को अपरान्ह में भाजपा के वरिष्ठनेता अरविन्द सिसोदिया के राजस्थान सरकार के राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल में शिक्षा प्रोत्साहन प्रन्यासी के रूप में राज्यस्तरीय मनोनयन पर सार्वजनिक अभिनन्दन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसके मुख्य अतिथि कोटा उत्तर नगरनिगम के नेता प्रतिपक्ष लव शर्मा रहे एवं संचालन नवयुवक मंडल अध्यक्ष मंगेश कुमावत नें किया।

पाठ्यपुस्तक मंडल के शिक्षा प्रोत्साहन प्रन्यासी अरविन्द सिसोदिया नें कहा कि वर्तमान समय में समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती के संस्कारों और नैतिकताओं के संरक्षण की है। इस दिशा में समाज को सर्वोच्च प्राथमिकता से ध्यान देना होगा।

समाज संस्कारित हो यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सिसोदिया नें मनोनयन के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का आभार ज्ञापित किया।

मुख्य अतिथि कोटा उत्तर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा नेता लव शर्मा नें कहा कि अरविन्द सिसोदिया की नियुक्ति कार्यकर्ताओं के परिश्रम का सम्मान है। उनके मनोनयन से पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समाजिकस्तर पर सकारात्मक संदेश गया है।

कोटा के अरविन्द सिसोदिया के प्रन्यासी मनोनयन पर उनका अभिनन्दन किया गया।

कार्यक्रम संयोजक एवं चोपड़ा फार्म नवयुवक मंडल अध्यक्ष मंगेश कुमावत नें बताया कि भाजपा नेता अरविन्द सिसोदिया पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पार्टी और समाज की सेवा में लगा दिया। उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने से कोटा का सम्मान संपूर्ण राजस्थान में बड़ा है और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन हुआ है।

समाजसेविका रूचि जौहरी नें कहा कि सिसोदिया कि नियुक्ति से भाजपा परिवार सहित समाज के सभी वर्गों में हर्ष का वातावरण बना हुआ है।

प्रवीण अग्रवाल पोची ने कहा कि सिसोदिया के राज्यस्तरीय प्रन्यासी बनाये जाने से विशेषकर कोटा जंकशन क्षेत्र में हर्ष एवं उल्लास व्याप्त है। समाजसेवी रणछोड़ अग्रवाल नें कहा कि सिसोदिया कि नियुक्ति कार्यकर्ताओं के परिश्रम का पार्टी द्वारा दिया गया स्वागत योग्य सम्मान है। अभिनंदन कार्यक्रम में प्रवीण अग्रवाल पोची, रूचि जौहरी, रणछोड़ अग्रवाल, महेंद्र कुमार गामा, आशीष दीक्षित, राजा खंगार, विशाल सोलंकी, कीर्ति टंडन, मीरा साहू, आशिक गोयर, उमेश डंडोरिया, कौशल शर्मा, अनूप झावा, पुरुषोत्तम दाधीच, सुमित शर्मा, अज्जू भैया, भरत शर्मा, उत्कर्ष सिंह, हर्ष वर्मा, गौरव अग्रवाल, वीरेंद्र चौहान, रोहित चंदू, विशु, जया टंडन, सुधा सिंह, मीनू मिश्रा, राजेंद्र यादव, नेहा हाड़ा, रूबी, कोयल, प्रेम गुप्ता, चेता सोनी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला -चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2024-25/4756 **आपत्ति सूचना** दिनांक:-26.12.2024

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री मन्तेश कुमार पिता श्री शिव प्रकाश निवासी रावतभाटा के द्वारा इस कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन पत्र एल.एस.जी. पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत कर गैर योजना क्षेत्र अन्तर्गत स्थित पुराने निर्मित कब्जों के नियमनशुदा आवासीय भवन संख्या 217 गैर नियोजित क्षेत्र एस.सी. छात्रावास के पीछे इन्द्रा कॉलोनी पूर्व वार्ड नं. 06, रावतभाटा जिसका पालिका द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012 अन्तर्गत नियमन किया जाकर भूमि पट्टा क्रमांक 217 दिनांक 10.06.2013 एवं पंजीयन दिनांक 04.07.2013 से नियमनधारी श्रीमती वीरवती पत्नि श्री शिव प्रकाश धोबी निवासी रावतभाटा के नाम पर कुल क्षेत्रफल 1435 वर्गफीट अर्थात् 159.44 वर्गगज आवासीय उपयोगार्थ का जारी किया गया था। भूखण्डधारी/नियमनधारी श्रीमती वीरवती का देहान्त दिनांक 18.11.2022 को हो जाने के कारण मृतक नियमनधारी के पुत्र (आवेदक) श्री मन्तेश कुमार पिता श्री शिव प्रकाश निवासी रावतभाटा द्वारा उक्त नियमनशुद्धा निर्मित भूखण्ड का उत्तराधिकारी नामान्तरण/हस्तान्तरण स्वयं एवं अपने भाई श्री कल्याण सिंह निवासी रावतभाटा के नाम पालिका रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र मय शपथ पत्र एवं अन्य समस्त वैध वारिसानों द्वारा श्री मन्तेश कुमार एवं श्री कल्याण सिंह के पक्ष में किये गये पंजीकृत हकत्याग पत्र की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड का नामान्तरण/हस्तान्तरण चाहा गया है।

अत: इस भूखण्ड का उत्तराधिकारी नामान्तरण/हस्तान्तरण उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर श्री मन्तेश कुमार एवं श्री कल्याण सिंह पिता श्री शिव प्रकाश निवासी रावतभाटा के नाम पर पालिका द्वारा दर्ज रिकॉर्ड किये जाने में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग/बैंक आदि को कोई उजर या आपत्ति हो तो वे इस आपत्ति सूचना प्रकाशन से 7 दिवस के अन्दर मियाद में अपनी आपत्ति इस कार्यालय में लिखित में मय प्रमाणित साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत कर सकते है, अन्यथा बाद मियाद किसी प्रकार को कोई आपत्ति मान्य नही होगी।सूचित रहे। **अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा**

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कृषि भूमि रुपान्तरण नगर परिषद बारां

क्रमांक:-नपबा/रुपा./2024/9999-10000 **लोक सूचना** दिनांक:-23.12.2024

श्रीमती सुगना बाई कोली पत्नी श्री तेजकरण कोली निवासी हनुमान जी की बावड़ी के पास नागरिक बैंक के सामने सदर बाजार धर्मादा चोराहा बारां तहसील व जिला बारां राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (कृषि आधारित वेयर हाउस गोदाम प्रयोजनार्थ) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
बारां, तहसील व जिला बारां	बमुलिया	93/545	0.17 है.

इसलिये इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपयुर्क्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अ